:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म0प्र0) ::

–:: निविदा विज्ञापन ::–

जिला न्यायालय गुना के केन्द्रीय अभिलेखागार में निराकृत प्रकरणों के अभिलेख को सुरक्षित रखे जाने हेतु नीचे वर्णित निर्धारित माप की रैक क्रय करने/बनवाये जाने हेतु रेक निर्माणकर्ता संस्थानों एवं विक्रयकर्ता संस्थानों से दरे निम्नांकित शर्तो पर आमंत्रित की जाती है :–

स.क्र.	सामग्री का नाम	साईज	स्पेशिफिकेशन
1	आयरन रैक	ऊंचाई 5 फीट, चौड़ाई 5 फीट, गहराई 18 इंच	1 इंच, 3एम.एम. के उच्च गुणवत्ता के लोहे के एंगल एवं 20 गेज की शीट

–::निविदा शर्ते::–

1. सीलबंद निविदायें प्रधान जिला न्यायाधीश, गुना के नाम से दिनांक 15.01.2024 को सांय 05.00 बजे तक बंद लिफाफे में डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये। उक्त निविदा जिला न्यायालय में गठित क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।
2. नियत दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/संस्था/निर्माता जिला न्यायालय के केन्द्रीय अभिलेखागार का निरीक्षण करने के पश्चात् निविदा प्रस्तुत कर सकता है।
4. आदेशानुसार निर्मित सामग्री न्यायालय तक पहुंचाये जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।
5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते है।
6. निविदा में सामग्री किस कम्पनी द्वारा निर्मित है तथा सामग्री के संबंध में सम्पूर्ण विवरण (कम्पनी का नाम, साइज, गेज, इत्यादि) अंकित करना अनिवार्य है।
7. निविदा पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व सील होना आवश्यक है।
8. सामग्री में आवश्यकतानुसार कमी अथवा बढ़ौत्तरी की जा सकती है।
9. निविदाकर्ता द्वारा सामग्री स्वीकृत दर एवं मात्रा पर प्रदाय करने हेतु बाध्य होगा।
10. प्रदाय की सामग्री निर्धारित मापदण्ड की न होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की होने की दशा में सामग्री निविदाकर्ता को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा निर्धारित माप के अनुसार सामग्री प्रदाय करनी होगी।
11. निविदा से संबंधित शर्त एवं प्रदाय किये जाने वाले सामान की सूची उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की बेवसाइट **www.mphc.gov.in** जिला न्यायालय गुना की बेवसाइट **www.districts.ecourts.gov.in/guna** से डाउनलोड की जा सकती है।
12. क्रय आदेश प्राप्त होने पर सामग्री निर्धारित अवधि में प्रदाय कना आवश्यक होगा।
13. निविदाकर्ता, वाणिज्यकर/जी.एस.टी. पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म0प्र0)